



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-11042025-262402
CG-RJ-E-11042025-262402

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1661]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2025/चैत्र 21, 1947

No. 1661]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2025/CHAITRA 21, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 9 अप्रैल, 2025

का.आ. 1692(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेलवे(संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प 26(37) परि / रेलवे / भू.आ. /2021/ दिनांक 08.04.2025 के द्वारा जिला कलेक्टर, राजसमन्द को मध्यस्थ के रूप में अनुशंसित किया गया है। अतः केंद्र सरकार, उपरोक्त अधिनियम की धारा 20च के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) जिलों के संबंध में राजस्थान राज्य में नाथद्वारा – देवगढ़ मदारिया आमान परिवर्तन विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला	राज्य
1	2	3	4
1	जिला कलेक्टर, राजसमन्द	राजसमन्द	राजस्थान

[फा. सं. उपरे/मुख्यालय/सं.व.नि./443599200-भाग-13]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION****Jaipur, the 9th April, 2025**

S.O. 1692(E).— In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20 F(6) of Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereafter referred to as the said Act).

The Government of Rajasthan vide their letter No. प 26(37) परि / रेलवे / भू.आ. /2021/ dated 08.04.2025 has recommended the District Collector, Rajsamand as Arbitrator. Therefore, Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway project of Nathdwara – Devgarh Madariya Gauge Conversion Project in the State of Rajasthan relating to District mentioned in Column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation.

TABLE

S. N.	Competent Authority	District	State
1	2	3	4
1	District Collector, Rajsamand	Rajsamand	Rajasthan

[F.No.NWR/HQ/S&C 443599200 Vol. XIII]
VED PRAKASH, Chief Administrative Officer (Construction)